

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

By e-mail
n कृष्णमोहन शर्मा

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/9487-9493

दिनांक- 4-5-2023

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
कोटा/जोधपुर/जयपुर/अजमेर
बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।

विषय- डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 6069-6360 दिनांक 27.03.2023, पत्र क्रमांक 7529-7816 दिनांक 10.04.2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश/पत्र के क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 6069-6360 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा डेयरी बूथ आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित दिनांक 28.04.2023 को स्थानीय निकाय विभाग समस्त राज. में डेयरी बूथ आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कर बूथ आवंटन हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना में वर्तमान प्रगति रिपोर्ट दिए गए लिंक पर जारी गूगल शीट पर अंतिम रूप से आंकड़ों को सत्यापित कर अपडेट करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हर्देश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/9494-9780

दिनांक- 4-5-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
7. उपायुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. आयुक्त/अधिकासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएं, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनाएं अविलंब उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को उपलब्ध कराएं।
9. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल), निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(विधि परामर्शी)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी